भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4024
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रदर्शन

4024. श्री जी. सेल्वम:
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के आरंभ से इस योजना के अंतर्गत कुल कितने किसान नामांकित हैं;

(ख) राज्य में किसानों के लिए निपटाए गए दावों की तुलना में लंबित दावों की राशि कितनी है;

(ग) दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और विलंब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने दावा निपटान में पारदर्शिता लाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु के उन जिलों के नाम क्या है, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक दावों के निपटान की सूचना दी है;

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु के किसानों को फसल हानि हर्जाना के रूप में कुल कितने रुपए का भुगतान किया गया है;

(छ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रभावकारिता की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ज) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ज): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। तमिलनाडु राज्य सरकार शुरू से ही इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। शुरू से ही तमिलनाडु में इस योजना के तहत 3,28,35,620 किसान आवेदन पंजीकृत किए गए हैं।

पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वितकिया जाता है और इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है।

फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ समय पर और पारदर्शी रूप से किसानों तक पहुंचे।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है, ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। **खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से गणना करके एनसीआईपी के माध्यम से लगाया जाएगा।** इससे दावों के निपटान में और तेजी लाने में मदद मिलेगी।
- चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित परिवादों को हल करने के लिए योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, ताकि शिकायतों की सुनवाई की जा सके और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान किया जा सके।
- शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समयसीमा भी तय की गई है।

- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में 2023-24 से वस्तुपरक फसल नुकसान एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद करने हेतु रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से माइग्रेशन करने के लिए **यस-टेक (तकनीक पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)**। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% वेटेज अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को जोड़ा गया है।

ii. जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-मापकों (एआरजी) के नेटवर्क की स्थापना के लिए **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)**। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय से डेटा के अंतर-संचालन और साझाकरण के साथ एडब्ल्यूएस और एआरजी के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में फीड किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

विभाग नियमित रूप से बीमा कंपनियों के कामकाज की निगरानी कर रहा है, जिसमें सभी स्टेकहोल्डर्स की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन बैठक के साथ-साथ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों का समय पर निपटान शामिल है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में रिपोर्ट किए गए दावों और बीमित किसानों को भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**भुगतान किए गए दावे**	**लंबित दावे**
	(रुपये करोड़ में)	
2019-20	1,244	0
2020-21	2,685	0
2021-22	836	0
2022-23	908	0
2023-24	773	1.60
कुल (टीएन)	**6,446**	**1.60**

योजना की शुरुआत के बाद से, पीएमएफबीवाई के तहत तमिलनाडु में सबसे अधिक दावा भुगतान करने वाले 4 जिले - तिरुवरुर (2,026 करोड़ रुपये), रामनाथपुरम (1,822 करोड़ रुपये), तंजावुर (1,316 करोड़ रुपये) और थूथुकुडी (1,048 करोड़ रुपये) हैं।

*****